

मुकदमा नम्बर 32/2021

शाखा प्रबन्धक,  
जिला बीकानेर।

बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पंचायत समिति, श्रीडूंगरगढ

- प्रार्थी -

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
2. शाखा प्रबन्धक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा श्रीडूंगरगढ।
3. गणेशाराम पुत्र मांगीलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम समन्दसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

- अप्रार्थीगण -

उपस्थिति:

1. श्री रणवीर सिंह अभिभाषक वादी
2. प्रतिवादी संख्या 02 व 03 के विरुद्ध एकतरफा
3. पैरोकारराज स्टेट की तरफ से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

यह प्रार्थना पत्र शाखा प्रबन्धक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पंचायत समिति, श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी संख्या 3 की 1/3 हिस्से की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 417 तादादी 3.37 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 578 तादादी 8.13 हैक्टेयर बाराणी वाकेरोही समन्दसर पटवार हल्का समन्दसर तहसील श्रीडूंगरगढ में स्थित है। अप्रार्थी सं. 3 ने अपनी उपरोक्त 1/3 हिस्से की खातेदारी भूमि पर के.सी.सी. व अन्य ऋण उद्देश्य हेतु प्रार्थी बैंक के यहां सन् 2017 में आवेदन किया जिस पर प्रार्थी बैंक शाखा द्वारा 03 मार्च 2017 को उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में (प्रार्थी बैंक के नाम) रहननामा दर्ज करने हेतु 6 (1) जारी किया। अप्रार्थी संख्या 3 ने उक्त 6 (1) अप्रार्थी संख्या 1 के कार्यालय में प्रस्तुत कर किया जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 के कार्यालय से उक्त 6 (1) को हल्का पटवारी को भेजा गया व हल्का पटवारी ने सही रूप से नामान्तरण संख्या 899 दिनांक 03.03.2017 को दर्ज रजिस्टर कर तहसील कार्यालय में पेश किया जो बाद पंजीबद्ध एक प्रति प्रार्थी बैंक के कार्यालय को भिजवाई गई। उक्त 6 (1) के आधार पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी सं. 3 को के.सी.सी. व अन्य कृषि ऋण प्रदान कर दिया गया। कुछ समय बाद प्रार्थी बैंक द्वारा ऑन लाईन के माध्यम से अप्रार्थी सं. 3 के खसरे की सर्च की गई तो पता चला कि उक्त खसरे को राजस्व अमला द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 (बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा श्रीडूंगरगढ) के नाम गलत रूप से रहन दर्ज कर दिया गया है। उक्त नामान्तरण सं. 899 के द्वारा बिलकुल ही गलत रूप से खसरा नम्बर 417 व 575 रोही समन्दसर में अप्रार्थी संख्या 2 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा श्रीडूंगरगढ के नाम रहन का इन्तकाल दर्ज कर दिया गया है जबकि अप्रार्थी सं. 3 ने अप्रार्थी संख्या 2 के यहां कोई ऋण आवेदन नहीं किया था। उक्त खसरा भूमि का नामान्तरण सही रूप से प्रार्थी बैंक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पंचायत समिति श्रीडूंगरगढ के नाम दर्ज होना चाहिए था।



*(Signature)*  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)



प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 ता 03 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 01 (पैरोकार राज स्टेट की तरफ से) ने जवाब पेश किया। यदि प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। स्टेट को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

### आदेश

खेत खसरा नम्बर 417 तादादी 3.37 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 578 तादादी 8.13 हैक्टेयर वाकेरोही समन्दसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड व ऑन लाईन रिकार्ड में अप्रार्थी सं. 3 के हिस्से की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 (बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा श्रीडूंगरगढ़ के नाम दर्ज रहन के अंकन को हटाया जाकर उसकी जगह प्रार्थी बैंक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पंचायत समिति श्रीडूंगरगढ़ के नाम रहन का इन्तकाल दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड व ऑन लाईन रिकार्ड में शुद्धिकरण करने का आदेश तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ को दिये जाते हैं। रहन मुताबिक आदेश यथावत रहेगा। तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़ तदनुसार राजस्व रिकार्ड में शुद्धि करे।

आदेश आज दिनांक 12.02.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफतर हो।



*(Signature)*  
(दिव्या)  
उदयखण्ड अधिकारी  
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)  
श्रीडूंगरगढ़